राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:--एफ.28(16)पंरावि / प्रशा–2 / ग्रासे / पदोन्नति(जांच) / 2013 / 138   जयपुर,दिनांक:- 15/1/2014

:: **आदेश** ::

ग्राम सेवक पदेन सचिव से पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की सिफारिश के आधार पर बन्द किये गये लिफाफों में से निम्न ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों के बन्द लिफाफे खोले जाकर इन्हें उनके नाम के सामने अंकित वर्ष की रिक्तियों के विरूद्व पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर (पंचायत प्रसार अधिकारी की वेतन श्रृंखला में) पदोन्नत किया हैं :--

क्र. सं.	नाम ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव / पिता का नाम	श्रेणी	वर्तमान पदस्थापित पंचायत समिति	वरिष्ठता क्रमांक	पदोन्नति वर्ष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री जयन्तिलाल शर्मा	Gen	रानीवाडा (जालौर)	1204	2011--12	
2.	श्री रामस्वरूप धायल	Gen	तारानगर (चुरू)	1791	2012--13	
3.	श्री बलराम मीणा / रामफूल मीणा	ST	देवली (टोंक)	2308	2011--12	

उक्त पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4681 / 2013 श्याम सुन्दर मुण्ड बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.5.2013 के निर्णय के अधीन रहेंगी ।

उक्त ग्राम सेवकों की पदोन्नति पंचायत प्रसार अधिकारी की वेतन श्रृंखला [PB-2 9300-34800 GP 3600] में की गई है । इन्हें पदोन्नति का लाभ कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा परन्तु काल्पनिक (नोशनल) लाभ पदोन्नति वित्तीय वर्ष की अन्तिम दिनांक से देय होगा एवं इनकी वरिष्ठता निर्धारण पदोन्नति वर्ष से किया जावेगा।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.14(88)FD(Rules)2008-I दिनांक 31.12.09 के बिन्दु संख्या 18 के अनुसार उक्त पदोन्नत ग्राम सेवकों द्वारा पदोन्नति फोरगो करने पर अगला चयनित वेतनमान पदोन्नति फोरगो करने की अवधि तक देय नहीं होगा। तद्नुसार संबंधित ग्राम सेवक की सेवा पुस्तिका में नोट (लाल स्याही) अंकित कर सूचित किया जावे ।

उक्त पदोन्नत पंचायत प्रसार अधिकारी अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण कर, पालना रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करेंगे।

उक्त पदोन्नति सूची में यदि कोई ग्राम सेवक असमायोजित पाया गया तो यह सिफारिश ऐसे ग्राम सेवकों पर लागू नहीं होगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गिरीश पाराशर)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्र.2)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2–निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3–निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
4–जिला कलक्टर, संबंधित ।
5–मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित ।
6–विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित ।
7–प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
8–संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी को पालनार्थ।
9–संस्थापन्न लिपिक पंचायत प्रसार अधिकारी, मुख्यालय ।
10–आदेश पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्र.2)